

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

नज़र आएगी। इसलिए राज्य सभा को वित्तीय ताकत मिलनी चाहिए। वित्तीय मामलों में हमारे अधिकार लोक सभा अगर हम हों और हम संसद के घंग हैं तो यह उचित नहीं लगता कि लोक सभा से हमारे अधिकार किसी तरह कम हों जब कि राज्य सभा उच्च सदन है।

इन शब्दों के साथ मैं अनुभवही सांसद विधान श्री रजनी रंजन साहू जी जो संविधान संशोधन विधेयक लाए हैं उसका पुरजोर समर्थन करता है और सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसको लौटाने का आग्रह न करें बल्कि सदन को आश्वासन दें कि सरकार अपनी ओर से इसके लिए विधेयक लाएगी और राज्य सभा की गरिमा को ऊँचा करने के लिए दुनिया के जनतंत्र को रोशनी देने के लिए, एक नया दस्तावेज पेश करने के लिए भारतीय संविधान के माध्यम से सरकार एक विधेयक लाएगी और इस वीज को स्वीकृति देगी।

व्यवहार।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Hon. Members, Shri M.A. Baby, who was in the Chair, could not introduce the Bill standing against his name. Therefore, is it the pleasure of the House that he be granted permission to introduce his Bill?

HON. MEMBERS: Yes.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1992 (TO AMEND ARTICLE 77)

SHRI M.A. BABY (Kerala): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI M. A. BABY : Madam, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : We will continue with the Constitution (Amendment) Bill, 1991. Shri Ram Awadhesh Singh, not here. Shri Kulabidhu Singh.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1992 (INSERTION) OF NEW ARTICLE 117A)—Contd.

SHRI W. KULABIDHU SINGH (Manipur): Madam Deputy Chairperson, normally I am madical in thought and action, but today I take the conservative role in the sense that I don't like the amendments brought by Shri. R. R. Sahu our respected friend. Our constitution has borrowed from the constitutions of many countries in the world, and primarily from the British model, the House of Lord and the House of commons. In the tenth and eleventh centuries the Commons of England wanted their representation in a historic movement—"No taxation without representation". That was the cry of the British people, the Commons. Under the British Constitution, a two-tier system, the House of Lord and the House of Commons, is going on. Our founding fathers borrowed much of the thoughts from the British Constitution and we don't like to disturb that model. In India, Lok Sabha is directly elected by the people and the Council of States, Rajya Sabha, is indirectly elected. There is no reason to suffer from an inferiority complex. It is not that the Council of States is divested of financial powers. It is not a question of being deprived of powers in financial matters. It is a question of specialisation of the matters. Rajya Sabha is to specialise on some other superior matters, keeping checks and balances on what the Lower House has done. If there is any loophole or something like that, we are here to fill up the gaps, to correct mistakes, to revise and rethink it. Our role is to check and balance. In the House of Lords their judicial functions are preseccribed. It is also a part of the judiciary. It is only a question of specialisation of duties between the House of Commons and the House of Lords, not that the House of Lords is superior or the House of Commons is superior because they are engaged in financial matters too. So we should not suffer from any complex of inferiority that we are deprived of financial business. It is after all a profit and loss account. It is a plusminus business. Why should we go into this affair of plus-minus business, profit and loss account of the exchequer of the State? Of course, it is an important thing, but there should be specialisation in the matter. We should not prefer to get into these Money Bill matters. Let it be the business of the Lower House. After all, we are human beings. Man likes power. We want financial powers. True, but we have some more onerous tasks. They are merely doing financial business plus profit and loss account. In this connection I remember an aspect. Nowadays the Supreme

Bill, 1992

Court and the high courts—I may be wrong in reading their line of thought—also won to exercise powers of the Speakers in the name of judicial review. I think, all the courts have now wanted in the name of judicial review to exercise the powers of the Speakers also. Such grabbing of powers should not be here at least in our mind. So, I would not like to change what our founding fathers of the Constitution have drafted by taking some portion from here and some from there and mostly from the British Constitution which is an unwritten Constitution. So, I would not like any change and we should not suffer from any complex that we are deprived of any financial powers. With these few words, I submit that this Bill is not one which is to be supported by me.

श्रीधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) :
उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री रजनी रंजन साहू जी ने जो अपना संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है उस संशोधन के जरिए उन्होंने अपनी बात कहने की पेशकश की है कि राज्य सभा को भी वित्तीय शक्तियाँ, आर्थिक पावर्स, बजट आदि की, मनी बिल की और देश के धन-दौलत की सारी नीतियाँ तय करने और बनाने की सुविधा संविधान के अनुसार होनी चाहिए। बात मूल में बहुत सही लगती है और सही है भी। लेकिन जैसा कि मैंने उनकी इंट्रोडक्टरी स्पीच को पढ़ा, उसके शुरू की स्पीच में उन्होंने कहा है कि स्पेशियल कन्डीशन में और विशेष अवस्थाओं में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। यह बात सही है कि भारत के संविधान के सामने और सरकार के सामने कई बार ऐसी विशेष परिस्थितियाँ उपस्थित हुई हैं, हो सकती हैं और आगे भी होंगी और आज भी मौजूद हो सकती हैं, कल भी होंगी कि जब लोक सभा अस्तित्व में नहीं हो, चुनाव की तैयारी में लगी हो, लोक सभा के चुनावों की घोषणा हो गई हो, कोई पोपुलर सरकार न हो, काम चलाऊ सरकार हो, उस वक्त राष्ट्रीय विपदा बड़े पैमाने पर हो और हो सकता है कि देश के ऊपर किसी बाहरी मुल्क के हमले का डर हो, उस वक्त में सरकार के सामने बड़ा क्राइसेज हो कि लड़ाई करें या चुनाव करवायें या किसी महाभारी या विपदा का मकाबला

Introduced

करें। ऐसी परिस्थिति के लिए कोई विशेष प्रावधान जरूर होना चाहिए जिससे बजट या आर्थिक प्रावधानों को लागू किया जा सके। ऐसे क्राइसेज आये भी हैं जब सरकार बाल बाल बची है। एक दो दिन बाकी रह जाते हैं जब कि किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बहुत तेजी से जल्दी में कानून पास करना पड़ता है और राष्ट्रपति का शासन बढ़ाना पड़ता है। दूसरे सोने-बिचारे और बिना दिसकशन के कानून पास करना पड़ता है। ऐसे ही क्राइसेज की तरफ श्री रजनी रंजन साहू जी का संकेत है और यह बहुत आवश्यक भी लगता है। इस पर बहुत गहनता और गम्भीरता के साथ सोचा जाना चाहिए। हमारी यह राज्य सभा एक मायने में हाउस आफ लाइस तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन हाउस आफ एल्ब्स जरूर कही जा सकती है। एल्बर्ली परसन का मतलब यह है कि वह बड़ा अनुभवी है और यहाँ पर ऐसे विद्वान लोग जो शासन में रहे हों, जूडिशियरी से आये हों, प्रोफेसर हों, एकेडेमिशियंस हों जो हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के जाने-माने विद्वान हों, एक्सपर्ट हों, किसी विषय के विशेषज्ञ हों, कई बार राज्यों में मुख्य मंत्री रहे हों, इस सदन के अन्दर होते हैं। लोक सभा में लोग जीत कर आते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कानून या बजट पास होता है उसके कई रिपरकसन हो सकते हैं जिसमें संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए राज्य सभा एक छलनी का काम कर सकती है। सही सलाह देकर उस पर दुबारा विचार करने का मौका दिया जा सकता है।

वे जो इलेक्शन के वायदे करते हैं, सच्चे या झूठे, उनके आधार पर सारे कंसेशन दिये जाते हैं, वजट बनता है, कानून बनता है लेकिन यह जो राज्यसभा है, कोसिल आफ स्टेट है इसके सदस्य इलेक्शन में जाकर पीपुल्स के सामने वायदे नहीं करते, ये पापुलर सेटीमेंट को जीतकर यहाँ नहीं आते। यह ठीक है कि इनकी राय परिपक्व होती है, अनुभव होता है। इस मायने में राज्यसभा जो है उसकी उप-

[बोधरो हरि सिंह]

योगिता लोकसभा से बहुत ऊंची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब संकट हो और लोकसभा न हो तो उस वक्त के लिये रजनी रंजन साहू जी का जो संशोधन है वह उपयुक्त है। यह बहुत सामयिक है और इसे माना जाना चाहिए। इसकी आवश्यकता भी है। साथ ही साथ हमको इस पर भी विचार करना चाहिए कि अगर इस तरह का प्रावधान नहीं होगा तो देश के सामने ऐसी स्थिति आने पर क्या होगा, इसलिए इस पर सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इस पर विचार करके इसको लाना चाहिए।

लेकिन मैं एक बात जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने की, वे मेरी पार्टी के हैं, मशहूर और विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो जनता के नुमाइन्दे हैं, जो सीधी लड़ाई लड़कर आते हैं, जो जनता के बीच में जाते हैं और जो चुनाव लड़ते हैं सारी पालिसी मेकिंग उनके हाथ में न रहे। यह बात मुझे अपील नहीं करती है। ये हर पांच साल बाद जनता के बीच में जाते हैं लेकिन हम कभी भी जनता के बीच में नहीं जाता। हमारा रोल दूसरा है। लोकसभा के जो मेंबर हैं उनका कार्यक्षेत्र और उनके कार्य करने की प्रणाली और शैली दूसरी है। पीपुल्स की नब्ज उनके हाथ में होती है। जब वे चुनाव लड़ते हैं और उनकी पार्टी का लीडर प्रधान मंत्री बनता है तो वह जानता है कि पीपुल्स की नब्ज क्या है, देश क्या चाहता है, क्या हमारी आर्थिक नीतियां होनी चाहिए और क्या पालिसी हमारे लिये जरूरी है। तो जो पार्टी बहुमत

में आती है तो उसका नेता प्रधान मंत्री बनकर उसके आधार पर अपनी नीतियां निर्धारित करता है। अगर राज्यसभा का लीडर पालिसी मेकिंग करेगा, बजट बनायेगा या एकानामिक पालिसी ले-डाउन करेगा तो यह ठीक नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। जनता सुप्रीम है, सावरन है, राज्यसभा सावरन नहीं बन सकती। मैं इस आइडिया को मानने वाला हूँ कि जो लोग सावरन बनना चाहें वे जनता के बीच में जायें। प्रधान मंत्री देश को डाइरेक्शन देता है क्योंकि वह और उसकी पार्टी के नुमाइन्दे लोगों के बीच में जाकर इलेक्शन कांटेस्ट करते हैं। जनता के सामने वे अपना इलेक्शन मैनीफेस्टो रखते हैं कि अगर हमारी सरकार आयेगी तो यह पालिसी हम ले-डाउन करेंगे। यह हमारी एकानामिक पालिसी होगी, हम देश के लिए इस प्रकार का आर्थिक ढांचा रखेंगे, गरीबों के लिये यह कार्यक्रम चलायेंगे, देश के उत्थान के लिए यह करेंगे, हम हेल्थ में यह लायेंगे, एजुकेशन में यह लायेंगे। इसलिए श्रीमंत, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो जनता के नुमाइन्दे हैं उनको राज्यसभा के सदस्य सुपरसीड नहीं कर सकते। हां, काइसेस के वक्त मैं श्री रजनी रंजन साहू जी का जो मंतव्य है, उससे मैं एग्री करता हूँ। इसकी आवश्यकता है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो किसी दिन देश चौराहे पर मिलेगा। लेकिन यह तर्क कि हम उनसे सुप्रीम हैं इससे एग्री नहीं करता। राज्यसभा एक परमानेंट बाडी है। लेकिन क्या कभी आप जनता के बीच में जाते हैं? इसलिए यही अच्छा है कि इसके द्वारा बेंटर कौंसिल मिलती रहे यह उचित होगा।

श्रीमन्, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और साथ ही चेतावनी देना चाहता हूँ, यहां पर लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने यह नहीं किया तो देश के सामने संकट खड़ा हो जायेगा।

दूसरा मैं थोड़ा सा इसके थ्योरिटिकल आस्पेक्ट पर आना चाहता हूँ। अलास्की ने क्या कहा, रे ने क्या कहा, पालियामेंटरी प्रैक्टिस में क्या कहा गया है, मैं इन सब चीजों को नहीं जानता हूँ पर इस बारे में मैं अपना प्रैक्टिकल व्यू जरूरी रखना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान का संविधान जो बना उसमें दुनिया के जो बड़े-बड़े माने हुए विद्वान लोग थे, इतिहास में जिनका नाम है, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो बड़े विद्वान थे और जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी थी इस तरह की बड़ी हैसियत वाले विद्वान हमारे देश का संविधान बनाने वाले रहे। लेकिन उस समय में और आज में बहुत चेंज आ गया है, सरकारस्टोसेज बदल गये हैं, सोसायटी बदल गयी है, सोसाइटी और समाज का दृष्टिकोण बदल गया है। अब यंग जनरेशन आ गई है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि 2000 आते आते 80 फीसदी जो हमारी आबादी होगी वह 47 साल से ज्यादा नहीं होगी।

4500 P.M. यह एवरेज आने वाला है। हमारे संविधान को बनाने में महान विद्वानों ने, त्यागी पुरुषों ने सारी चीजों को इमेजिन कर के बनाया और दुनिया भर के संविधानों से नई-नई चीजों को हमारे संविधान में रखा और सब से बड़ा संविधान बनाया लेकिन इसके बावजूद यह आज की परिस्थितियों में फिट-इन नहीं होता है। अब तक हमारे संविधान में मेरे विचार में 59 संशोधन हो चुके हैं। यह संशोधन क्यों करने पड़े, क्योंकि हमारा संविधान आज की परिस्थिति में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। इतनी भारी संख्या में संशोधनों का सिलसिला चलता रहा तो कहीं ऐसा न हो कि हमारा जो मूल संविधान है वह केवल एक ढांचा ही रह जाए। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि वक्त का तकाजा है, आर्थिक स्थितियां, हमारे विदेशी ताल्लुकात, आन्तरिक स्थितियां, सामाजिक समस्याएं हैं, इनको देखते हुए संविधान को रीराइट किया जाना चाहिए। आज तो क्राइम की सिचूयेशन भी बढ़ल गई है और क्रिमिनल्ज का स्टैंडर्ड किस तरह का हो गया है, क्राइम करने के वेपन और तरीके भी बहुत बदल गये हैं लेकिन यह सारी चीजें कहती हैं कि अगर हम ला की

कितना हाथ पर रख कर जाए या नहीं रख कर जायें तो अपराधी सजा नहीं पा सकता है और यदि पुलिस ईमानदारी और सच्चाई से काम करे तो कोई क्रिमिनल सजा नहीं पा सकता है। ला में इतने सारे सवाल खड़े हो गये हैं। मेरे कहने की मंशा यह है कि आज की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उनमें संविधान को रीराइट करना बहुत आवश्यक हो गया है। मैं पुरजोर शब्दों में कहता हूँ कि चाहे हमें कांस्टीट्यूट असेम्बली का गठन करना पड़े तो किया जाए लेकिन संविधान को रीराइट किया जाना चाहिए और नये ढांचे में ढाला जाना चाहिए। आज यह कहते हैं कि यह धरोजी कांस्टीट्यूशन की तकल है। जहाँ पर हमारा प्वाइंट साइलेंट हो जाएगा वहाँ पर इंग्लैंड के संविधान से वृष्टांत हम लेंगे। इस प्रावधान को समाप्त करना चाहिए क्योंकि यह भी गुलामी की निशानी है। इसलिए मैं मांग करता हूँ और विधेय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे संविधान को नये सिरे से लिखा जाए और यदि संविधान सभा का गठन करना पड़े तो वह भी किया जाए। इन शब्दों के साथ स्पेशल बंडीशंस और तात्कालिक परिस्थितियों को मीट करने के लिए हमारी राज्य सभा को अधिक पावर देने के लिए साहू साहब ने जो बिल प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : Shri Subramanian Swamy. Not there.

SHRI B. L. PANWAR (Rajasthan) : Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak. Before speaking on this Bill I want to give cart-loads of thanks to our hon. Prime Minister for permitting me to go abroad and get my heart bypass surgery done. I got a new life, a new heart, and because of that I am able to speak for the first time in this budget Session.

Madam, before giving my views on this Bill, I would like to go into the background of the articles considered before the Constituent Assembly. Madam, the amendment moved by hon. Member Shri R.R. Sahu for 117(A) corresponds to article 97 in the Constituent Assembly. The reference of article 112 has been given in the objects. But the procedure in respect of money Bill, according to Mr.

(Shri B. L. Podwar)

Sahu requires to be amended. It also relates to the present article 109 which corresponds to article 89 in the Constituent Assembly. This was much debated at that time also and the previous speakers have said and given a lot of details. I would not like to repeat them. But the amendment which was sought in the Constituent Assembly by the hon. Member Shri H.V. Kamath on 20th May, 1949 to Article 89 was to the effect that Money Bills should not be introduced in the Council of States and that it has to be introduced only in the House of People. It was said that it was not in the nature of an amendment and so it was not moved by Shri H.V. Kamath. Again when the special provision regarding Financial Bill came up for discussion, Article 97 was taken up. Shri Kamath moved the Amendment Bill that such provision that the Money Bill be introduced in the Council of States be deleted on 10th June, 1949. It was said that this was only a repetition of the amendment which was debated on 20th May, 1949. So this amendment was also negated and the Constituent Assembly said that the Council of States must be given the power for the Money Bills. What is the background behind it? The hon. Members have talked high about this House and I also join with them. Article 1 of our Constitution says, "India, that is, Bharat, shall be a Union of States" and this House being the Council of States has got that privilege of the Upper House and that credence has been given right from the beginning for working as a watch-dog for all the three pillars of the State—the Executive, the Legislature and the Judiciary. We debate, discuss and vote on almost all types of Bills and give our assent. Sometimes we withhold our assent and we send it back to the other House with amendments. This has happened a number of times. Madam, this House has always been given that much of a status that the Prime Minister was from this House at the time of Madam Indira Gandhi. At present also, we have got the Home Minister from this House, the Finance Minister from this House, the Minister of Parliamentary Affairs from this House and the Minister of Welfare—all Cabinet Ministers. So, I join with all the Members that the position of this House being the Upper House should be upheld. Hence that respect should always be given because it represents all the States and we represent more than the Members of the House of People and therefore we have got that much of respect. Now, what was the reason for not giving this power to the Council of States? The framers of our Constitution who were the stalwarts considered the Constitution of all the countries in the world and they took out the grain

from the chaff and framed the Constitution suitable to our culture, heritage and the respect of the nation. Madam, we have got another power in the Constitution, another provision to meet other situations, which hon'ble Sahuji has mentioned in the Statement of Objects and Reasons of this Constitution (Amendment) Bill, it is mentioned:

"The demands for grants are also required to be made to the Lok Sabha only. After the Lok Sabha votes on the demands and passes the Appropriation Bills, the Rajya Sabha comes into the picture. Recent happenings have, however, shown that these financial provisions are for normal times only. There is no doubt that the strings of the purse must be with the House elected directly by the people. But at the same time some contingencies may arise when the House of the People is dissolved or it is not possible for a regular Government to be formed which may present a regular budget in accordance with the articles mentioned above."

Then something is said in the second paragraph that Rajya Sabha is a continuous body and, therefore, it should be given the necessary powers.

My respectful submission would be that the framers of the Constitution gave full consideration to this aspect of the matter and we have a provision in Article 267 of the Constitution regarding Contingency Fund and this fund has been placed at the disposal of the President of India. I need not read out the whole of it. I need only say that this Article 267 coupled with Article 283 (1) and Article 360 (1) of the Constitution takes care of all such situations for meeting which Sahuji has proposed the present amendment. The framers of the Constitution had made a provision whereby the custody of the Contingency Fund, payment of moneys into it, etc. was left to the President of India in case of any emergency, for meeting emergent situations when Lok Sabha is not there. Article 283 (1) provides that such funds like the Consolidated Fund, the Contingency Fund, the financial transactions shall be under the custody of the President and regulated by the rules made by the President. Under Article 360 (1) when there is a financial emergency, when there is a situation threatening the financial stability or credit of India or any part of the territory thereof, the President has got the power to meet such exigencies. So, the provisions which hon'ble Sahuji thought to introduce now already exist in the Constitution.

In Part XX under Article 368 of the Constitution of India there is a special provision for amendment of the Constitu-

tion. Right from 1950 till date Parliament has passed Constitutional Amendments to the tune of 68 times. If we go through all the amendments from No. 1 to No. 68, We will find that there are only a few amendments which are in the nature of basic amendments of the Constitution such as amendment No. 42, No. 46, etc. So, only a few amendments are for amending the basic structure of the Constitution for which some formal things are required to be done. So, the Constitution is not required to be amended every now and then, especially when there is a specific provision already in regard to that.

Therefore, Madam, in this background, I would like to request, through you, Sahuji to reconsider his Bill. Since an amendment has been brought forward only to one provision, that is, article 117, and since the other amendments which are necessary with regard to financial powers have not been brought forward, even if this amendment is carried, it will not have the effect of giving full powers to the Council of States because that provision is still there, article 109 is still there, and the Council of States will not get any powers regarding Money Bills.

Therefore, Madam, I request Sahuji, through you, to reconsider his amendment.

With these words, I thank you for giving me this opportunity.

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (ग्राम्प्रवेश): मोहतरमा वार्डस चैयरमैन साहिबा, मेरे कुलीग मि० रजनी रंजन साहू की जानिब से जो कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट के लिए बिल पेश किया गया है उसकी मैं भरपूर तारीफ करता हूँ। इस वजह से कि पालियामेंट के मायने होते हैं दोनों हाउसेज के, अपर हाउस और लोअर हाउस, अगर इस वक्त हमारा जो कांस्टीट्यूशन है उसमें फाइनांशल पावर्ज सिर्फ लोक सभा को दिए गए हैं और राज्य सभा को सही मायनों में किसी किस्म के फाइनांशल पावर नहीं है। इससे यही समझा जाएगा कि राज्य सभा को फाइनांशल पावर्ज में उतनी अग्रिमियत नहीं दी गई, उतनी इंपार्टेंस नहीं दी गई जितनी कि देना चाहिए था। आपको यह मालूम होना चाहिए मंडम, कि हमारा हाउस कोई नामीनेटेड हाउस नहीं होता जो हाउस है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं यह खुद भी एक इलेक्ट्रेड हाउस है। जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिवज होते हैं वे हमारे हाउस को इलेक्ट करते हैं। लिहाजा हमारा

ह. उस भी एक इलेक्ट्रेड हाउस कहलायेगा। जब हमारा हाउस भी एक इलेक्ट्रेड हाउस है और फिर हमारे जो वोटर्ज होते हैं, वे वोटजे जो हैं यानी पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या वह समझ जाएगा कि उनमें पोलिटिकल कांशसनस बहुत ज्यादा होती है और वह जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं वह काफी सोच समझ कर हम लोगों का इंतख़ाब करते हैं। लिहाजा इस हैसियत से हमको फाइनांशल पावर्ज दिया जाना बेहद जरूरी है। अगर शायद दस्तूर बनाने वालों का जो मंशा था उस वक्त कि पता नहीं क्या बात थी कि उन्होंने जो है राज्य सभा को फाइनांशल पावर्ज नहीं दिया और सिर्फ लोक सभा को इसी वजह से पावर्ज दी गई कि डाइरेक्ट पब्लिक की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स बाड़ी होती है, लिहाजा फाइनांशल पावर्ज उनको दी जानी चाहिए। इससे हटकर मैं एक बात और कहूंगा कि यह राज्य सभा जो है, यह कटीनुअस बांडी होती है और राज्य सभा को कभी भी, किसी वक्त भी डिजॉल्व नहीं किया जाता और सेंटर में जब कभी कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस हो जाती है और लोकसभा का इलेक्शन छ: महीने तक भी भी नहीं होता तो उस दौरत में हमारा कट्टी एक क्राइसिस की शकल अख्तिफार कर लेता है। इन क्राइसिस में बचने के लिए भी जरूरी है कि आप राज्य सभा को पावर दीजिए जब राज्य सभा को इस बात के पावर्स हैं कि यदि लोकसभा न होगी राज्यसभा किसी भी स्टेट में प्रेसीडेंट हल के लिए जोफि आडिनंस की शकल में राष्ट्रपति जी की जानिब से जारी किया जाता है, उस आडिनंस को राज्यसभा अप्रूव करती है लोकसभा की गैर-मोजूदगी में तो क्यों राज्य सभा को फायनेंशियल पावर्स दिए जायें? देखा यह गया है कि जितने भी बजट पेश होते हैं, वह पूरे-के-पूरे बजट लोकसभा में पेश होते हैं और फिर इससे हटकर जो हमारी ब्रांड्स की डिमांड रहती है, वह भी लोकसभा में होती है। यहां तो एक कदम आगे बढ़कर यह कहूंगा कि हमारे मोहतरम दोस्त रजनी रंजन साहू जी ने तो इमरजेन्सी केसेज में यह फरमाया है कि राज्यसभा को फायनेंसियल पावर्स दिए जाये, मैं तो यह कहूंगा कि

[श्री मोहम्मद खजिलूर रहमान]
जिस तरह से दूसरे बिलों को रीट किया जाता है, यानी लोकसभा में जो बिल पास होता है तो उसे राज्य सभा में भी पास किया जाना चाहिए। उसी तरह से मेरा यह भी कहना है कि हर वक्त की एक अग्रिम सूखते हाल में भी अगर फायनेंस बिल लोकसभा में पास होता है तो उस बिल को राज्य सभा में भी पास होना चाहिए। यह जो डिमांड्स होती हैं, उन डिमांड्स को भी राज्य सभा द्वारा पास किया जाना चाहिए और जिस तरह से किसी बिल को गवर्नमेंट महसूस करती है कि उस बिल को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाय तो लोकसभा में पेश करती है और कभी जब यह महसूस करती है कि वह राज्य सभा में पेश होना चाहिए तो उस राज्य सभा में पेश करती है। उसी तरह फारनेंस बिल को भी लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्य सभा में भी पेश किया जा सकता है लिहाजा उससे यह होगा कि पार्लियामेंट का जो सही मखूम है वह बनेगा और यदि समझा जाएगा कि कोई भी बिल जब पास होता है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मजूरी ताबख्ते की न हो। उस वक्त तक वह बिल पास नहीं समझा जाएगा। लिहाजा मैं आपके तबस्सुत से दरखवास्त करूंगा कि रजनी रंजन साहू सहब ने जो बिल पेश किया है, उसके ताल्लुक से इंतहाई संजीदगी के साथ हुकूमत गौर करें। खुद मैं तो यह कहूंगा कि यह जो बिल है, इस बिल को एडाप्ट कर लीजिए और अगर कोई टेक्नीकल स्पीकल्टी हो रही है इस बिल को एडाप्ट करने में तो आप इसी सेशन में एक बाजअवत बिल लेकर आइए ताकि राज्य सभा को भी वही पावर्स दिए जाने चाहिए। मनी बिल्स के ताल्लुक से वही पावर्स दिए जायें जोकि लोकसभा को दिए जाते हैं यह वक्त की अग्रिम तरीन जरूरत है और यह डेमोन्स्ट्रेसी और जमूरियत का भी तकाज है क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस दो एवान हैं। इन दोनों एवानों को ही उतनी अग्रिमियत दी जानी चाहिए और कभीभी यह तसब्बूर नहीं होना चाहिए कि एक हाउस, दूसरे हाउस से बड़ा है। लिहाजा यह जो तपावत रखा गया है, जो फर्क रखा गया है, उस

फर्क को कम करने के लिए मेरा आपके तबस्सुत से हुकूमत से यह मतलब है कि वह रजनी रंजन साहू सहब के बिल पर लिहायत संजीदगी से गौर करें और राज्य सभा को भी फायनेंसियल पावर्स देने के ताल्लुक से गौर करें। शुक्रिया।

اگرچہ محمد خلیل الرحمان
(آندھرا پردیش) : محترمہ ڈائرس
چیرمین صاحبہ - میرے کلویک
محترم رجنی رنجن ساہو کی جانب
سے جو ڈائمنٹی ٹوشن (مادہ 117A) کیا ہے
بل پیش کیا گیا ہے - اسکی میں
بہر پور تائید کرتا ہوں اس وجہ سے
سے کہ پارلیمنٹ کے معنی دوتے ہیں
دونوں ہاؤسز کے - اور ہاؤس اور
لوور ہاؤس - مگر اسوقت ہمارا جو
ڈائمنٹی ٹوشن ہے اس میں ڈائمنٹس
پارور صرف نوک سوہا کو دیئے گئے
ہیں اور راجیہ سوہا کو مکیم
معلوم میں کسی قسم کے ڈائمنٹیشن
پارور نہیں ہیں - اس سے یہی
سمجھا جائیگا کہ راجیہ سوہا کو
ڈائمنٹیشن پارور میں اتنی اہمیت
نہیں دی گئی اتنی اہمیتیں
نہیں دی گئی جتنی کہ دنیا
چاہئے تھا - آپکو یہ معلوم ہوتا
چاہئے میڈم - کہ ہمارا ہاؤس کوئی
ڈائمنٹیشن ہاؤس نہیں ہوتا ہمارا
جو ہاؤس ہے جسکو ڈائمنٹ
اسٹیتس کہتے ہیں یہ خون بہی
ایک الیکٹڈ ہاؤس ہے - جو پبلک
کے ریپریزینٹٹوز ہوتے ہوں وہ ہمارے
ہاؤس کو الیکٹ کرتے ہیں - لہذا
ہمارا ہاؤس بھی ایک الیکٹڈ
ہاؤس کہیگا - جب ہمارا ہاؤس
بھی الیکٹڈ ہاؤس ہے اور یہ
ہمارے جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ ووٹرز
جو ہیں یعنی پبلک کے جو

ریورینٹیمینٹڈ ہوتے ہیں یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہیں پالیٹیکل کانٹریولس بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ جو ریورینٹیمینٹڈ ہوتے ہیں وہ کافی سوچ سمجھکر ہم لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ لہذا اس حیثیت سے ہمکو فائینلشٹل مارو کا دیا جانا بہت ضروری ہے۔ مگر شاید دستور بدلانے والوں کا جو منشا تھا اسوقت کہ پتا نہیں کیا بات تھی کہ انہوں نے جو ہے راجیہ سبھا کو فائینلشٹل پاورز نہیں دیا اور صرف لوک سبھا کو اسی وجہ سے پاورز دی گئیں کہ ڈائریکٹ پولک کی طرف سے ریورینٹیمینٹڈ باقی ہوتی ہے لہذا فائینلشٹل انکو دی جانی چاہئے۔ اس سے ہرگز میں ایک بات اور کہتا کہ یہ راجیہ سبھا جو ہے کلٹی بوس باقی ہوتی ہے اور راجیہ سبھا کو کوئی بھی کسی وقت بھی قرار نہیں کیا جاتا اور سینئر میں جب کوئی بھی کانٹری ٹریشنل کرائس ہو جاتی ہے اور لوک سبھا کا الیکشن چھ پہلے تک بھی نہیں ہوتا تو اس صورت میں ہمارا کلٹی ایک کرائسز کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان کرائسز سے پہلے کیلئے بھی ضروری ہے کہ آپ راجیہ سبھا کو بطور دیجئے۔ جب راجیہ سبھا کو اس بات نے پاورز ہیں کہ لوک سبھا نہ ہو تو راجیہ سبھا کس بھی اسٹیٹ میں پریسڈنٹ زرا کیلئے جو کہ آرڈیننس کی شکل میں واشٹریٹی جی کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے اس آرڈیننس کو راجیہ سبھا اپروو کرتی ہے۔ لوک سبھا کی فیور موجودگی میں تو کیوں نہ

راجیہ سبھا کو فائینلشٹل پاورز دیئے جائیں۔ دیکھو یہ کہا ہے کہ جتنے بھی بجٹ پیش ہوتے ہیں وہ پورے بجٹ لوک سبھا میں پیش ہوتے ہیں اور پھر اس سے ہٹ کر ہمارے گرانٹس کی قمانڈ جو دھکی میں وہ بھی لوک سبھا میں ہوتی ہیں۔ یہاں میں تو ایک قدم آگے بڑھکر یہ کہتا کہ ہمارے محکمہ دوست ریونی رنجن سبھا میں یہ فرمایا ہے کہ راجیہ سبھا کو فائینلشٹل پاورز دیئے جائیں۔ میں تو یہ کہتا کہ چ۔ طرح سے دورے ہوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے یعنی لوک سبھا میں جو بل پاس ہوتا ہے تو اسے راجیہ سبھا میں بھی پاس کیا جانا چاہئے۔ اسی طرح میرا کہنا یہ بھی ہے کہ ہر وقت کی ایک عام صورتحال میں بھی اگر فائینلشٹل بل لوک سبھا میں پاس ہوتا ہے تو اس بل کو راجیہ سبھا میں بھی پاس ہونا چاہئے۔ یہ جو قمانڈس عوتی ہیں ان قمانڈس کو بھی راجیہ سبھا درواز پاس کیا جانا چاہئے اور جس طرح سے کسی بل کو گزرنی دیت محسوس کرتی ہے کہ اس بل کو صرف لوک سبھا میں پیش کیا جائے تو لوک سبھا میں پیش کرتی ہے اور کوئی جب یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ راجیہ سبھا میں پیش ہونا چاہئے تو اسے راجیہ سبھا میں پیش کرتی ہے۔ اس طرح فائینلشٹل بل کو بھی لوک سبھا میں بھی پیش کیا جاسکتا ہے اور راجیہ سبھا میں بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔ لہذا اس سے یہ ہرگز کہ پارلیمنٹ " جو

[شری محمد خلیل الرحمن]

مجلس ممبروں میں وہ بلیگ اور اگر
سمجھا جائیگا کہ کوئی بھی بل
جب پاس ہوتا ہے تو اس وقت
اور راجیہ سبھا دونوں کی منظوری
توافقیکہ نہ آہو اس وقت تک بل
پاس نہیں سمجھا جائیگا۔ لہذا
میں آپکے توسط سے درخواست کروں گا
کہ رجلی ورجن سار صاحب نے
جو بل پیش کیا ہے اس کے تعلق سے
انتہائی سنجیدگی کے ساتھ حکومت
غور کرے۔ خود میں تو یہ کہوں گا
کہ یہ جو بل ہے اس بل کو اذیت
کر لیجئے اور اگر کوئی ٹیکہ لکھ
تذکیلی ہو رہی ہے اس بل کو
اذیت کرنے میں تو آپ اسی سیشن
میں ایک بلاغیہ بل لیکر آئے
تاکہ راجیہ سبھا کو بھی وہی بل
دیئے جانے چاہئے۔ ملی بلس کے
تعلق سے وہی پاروز دیئے جائیں
چونکہ لوگ سبھا کو دیئے جاتے ہیں
یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور
یہ ترمیم کوئی سی اور جو وقت کا بھی
تقاضا ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے دونوں
ہاؤسز دو ایوان ہیں ان دونوں
اوانوں کو بھی اتنی اہمیت دی
جانی چاہئے اور کیوں بھی یہ تصور
نہیں ہونا چاہئے کہ ایک ہاؤس
دوسرے ہاؤس سے بڑا ہے لہذا یہ
جو تفاوت رکھا گیا ہے جو فرق رکھا
گیا ہے اس فرق کو کم کرنے کیلئے
میرا آپکے توسط سے حکومت سے یہ
مطالعہ ہے کہ وہ رجلی ورجن سار
صاحب کے بل پر نہایت سنجیدگی
سے غور کرے اور راجیہ سبھا کو بھی
فائنل شکل پاروز دیئے کے بعد

غور کرے۔ شکریہ۔

श्री शांती त्यागी (उत्तर प्रदेश) :

मंडम वाइस चेयरमैन, माननीय साहू जी ने जो विधेयक संशोधन का पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने खड़ा हुआ हूँ। महोदया, इसमें बहस बहुत आगे बढ़ गई है, जबकि साहू जी ने, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, यह संशोधन रखा है कि अगर देश में, संसद में कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो जाए, हाउस डिजॉल्व हो जाए लोअरहाउस या फिर केअर-टेकर गवर्नमेंट हो या और कोई पेचीदा कंस्टीट्यूशनल मामला बन जाए, जहां कि बजट पास न हो सके, मनी बिल पेजिंग में रहे और एक कंटनजेंसी उठ जाए तब क्या किया जाए? इसी सूरत में यह विधेयक यह मांग करता है। इसमें यह प्रार्थना की गई है मंत्री जी से, कि फिर राज्य सभा को यह अधिकार दे दिया जाए कि वह बहस करे उन बिलों पर और उनको स्वीकार करे।

महोदया, यह बहस होते-होते यहां पहुंच गई कि एक दूसरी कंस्टीट्यूट असम्बली हो, जो नया संविधान बनाए। अब आप गौर फरमायें कि पिछले वर्षों में, चालीस-बयालीस सालों में कितने संशोधन हमारे संविधान के अंदर हुए हैं और क्यों? मंडम, पंडित जी कहा करते थे कि अगर एक दस साल के बच्चे को आप एक साल के बच्चे का फाक या कमीज पहनायें या कोट पहनायें तो वह पहना नहीं पायेंगे और वह फट जाएगा। उनका मंशा यह था कि कभी भी कोई चीज लिखी गई है तो वह पत्थर की लकीर नहीं बल्कि उसमें बेन्जेज होंगे, मोडिफिकेशन होंगे, तरमीमें होंगी, तब्दीलियां होंगी और जैसी परिस्थितियां होंगी उसके ताबिक मुवह डाक्यूमेंट में, चाहे वह संविधान हो या और कुछ हो, वह लिखा जाएगा। इसीलिए यह परिवर्तन किए गए हैं। अब वे कितने संशोधन हो चुके हैं, यह तो ठीक से याद नहीं है।

मैंडम, यह जो विधेयक है, यह अपने तौर पर उन्होंने पेश किया है, मगर यहां पर यह बहस उठी है कि कौनसा सदन बड़ा है। मैं कहूंगा कि यह बहस बेकार है और यह ठीक भी नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के 80 करोड़ लोगों ने सोभर-हाउस को चुना है और आपने कहा है कि हमारे देश के करोड़ों निवासी, जो वोटर हैं, उनमें अनपढ़ हैं, पढ़े-लिखे हैं, देहात के भी हैं, शहर के भी हैं, बूढ़ भी हैं, औरतें भी हैं, द्राक्षबल भी हैं, तमाम ने उन्हें चुना है आपने कहा कि वही सोवरन है पीपल, तो उनके चुने हुए हाउस को किसी भी निगाह से छोटा समझे, यह ठीक नहीं है। इससे कल को बड़ा झगड़ा मच जाएगा... (व्यवधान)

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : ऐसा नहीं है। ... (व्यवधान) ...

श्री शांति स्यामो : मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपके विधेयक को नहीं कह रहा हूं। आपके विधेयक का मैं समर्थन कर रहा हूं आपने बड़े अच्छे ढंग से यह संशोधन रखा है। मंत्री जी, मुझे मालूम है कि आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आप यह आश्वासन तो दीजिए कि कम से कम भारत सरकार इनके ऊपर विचार करेगी। मुझे मालूम है आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो यह है कि आप इस पर विचार करें।

मैंडम, देश में परिस्थितियां बदल रही हैं और पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई हैं देश में, सरकार में पार्लियामेंट में, वह आपको मालूम है और उसी के मद्देनजर मैं समझता हूं कि साहू जी ने बहुत टाइमली, बड़े सामयिक ढंग से यह संशोधन इस सदन में पेश किया है।

मैंडम, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप सुनिए, बहुत अधिक अन्तर पैदा किया है ब्यूरोक्रेसी ने। मुझे मालूम नहीं, आपकी स्टेट में क्या है, मगर उत्तर प्रदेश में जो नौकरशाह है, जब कोई राज्य सभा मेंबर किसी अधिकारी को बुलाता है तो वह कहता है कि अभी

टाइम नहीं है, मैं आऊंगा किसी वक्त दर्शन करने और जब लोकसभा का मेंबर उसे बुलाता है तो वह साईकिल पर भी चढ़कर जाता है। यह अन्तर इन्होंने पैदा किया है मैं यह कह रहा हूं कि यह अन्तर पब्लिक में नहीं है, पब्लिक में तो आप एम० पी० हैं, वह भी एम० पी० हैं, मगर यह ब्यूरोक्रेसी ने अन्तर पैदा किया है। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि लोकसभा का जो मेंबर है, अगर उनकी बात नहीं मानी तो उसको लगता है कि दो हजार आदमियों का जूलूस आपके दरवाजे पर डाल देगा, चाहे वह डी०सी० हो, एस० एस० पी० हो, डी० आई० जी० हो। हम राज्य सभा के लोग भी लोगों में जाकर मिलते हैं, किसानों में रहते हैं, मजदूरों में रहते हैं और सब जगह काम करते हैं। मगर, वह तो समझते हैं कि यह तो विधायकों के जरिए चुने गए हैं। चुने जरूर गए हैं, लेकिन विधायकों के जरिए और इसलिए इनका काम नहीं है कोई बड़ा प्रदर्शन करने का। यह तो ब्यूरोक्रेसी का अपना एक अन्दाज है और वह ऐसा कर रहे हैं।

मैंडम, मैं यह कहना चाहता हूं आपके जरिए से कि इस विधेयक पर हमारे माननीय सदस्यों को भी, सरकार को भी विचार करना चाहिए क्योंकि एक सिचूएशन पहले उठ चुकी है और आपने देखा क्या हुआ। यह ठीक है, जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रेसीडेण्ट को अधिकार है, कण्टनजेन्सी फण्ड है उनके पास और उसका कंटीजेंसी फंड पर भी अधिकार है, बात ठीक है। लेकिन अगर इस सिचूएशन में राज्य सभा को भी यह दायित्व या अधिकार आप दे दें तो वह कोई बुरी बात नहीं होगी। सिर्फ एक कंटीजेंसी मांगा जा रहा है, परमानेंटली नहीं मांगा जा रहा है। सदन की गरिमा को या उसके अधिकारों को या उसके बड़प्पन को छोटा करके नहीं मांगा जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि अगर ऐसी स्थिति देश में उठे तो उसमें आप यह स्वीकार करें कि इस सदन में भी यह राइट हो जाए कि हम उस पर बहस करें और उसे पास करें।

श्री शांति त्यागी

मुझे और कोई विशेष बात नहीं कहनी है, बात बातें आ चुकी हैं और मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसको स्वीकार तो आप नहीं करेंगे लेकिन आज दुनिया बहुत बदल गई है, सोवियत यूनियन टूट गया, आप आई०एम०एफ० के पास चले गए, आप गेहूं की मांग कर रहे हैं, वह ठीक कर रहे हैं, पालिसी को लिबरल बना रहे हैं, इसलिए कि नई सिचुएशन पैदा हो गई है और इसीलिए मेरी आपसे मांग होगी कि आप इसके ऊपर भी विचार करें। धन्यवाद।

श्री सुरेश प्रचारी (मध्य प्रदेश) : माननीया उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभ्य आई साहू जी जो संविधान संशोधन विधेयक 1991 लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि कतिपय मामलों में, राज्य सभा को विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाएँ।

महोदय, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की संरचना की थी तो यह बिल्कुल कल्पना नहीं की थी कि हमारे देश में एक ऐसा वातावरण निर्मित होगा जिसमें अस्थिरता रहेगी और जब अस्थिरता रहेगी राजनीतिक रूप से तो अनिश्चय की स्थिति रहेगी और उस अनिश्चय की स्थिति में निर्णय लेने में कई प्रकार के संवैधानिक संकट उत्पन्न होंगे, कई प्रकार के व्यवधान पैदा होंगे। जब हम उन पर गौर करते हैं इसीलिए इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारे देश में जब राजनीतिक अस्थिरता आई तो कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि चाहते हुए भी हम वांछित निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाए। कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियाँ हमारे देश में पिछले दिनों देखने को मिलीं जब जिन सरकारों का गठन पांच साल के लिए किया गया था, वे सरकारें पांच साल काम नहीं कर पाईं और ऐसी स्थितियाँ निर्मित हुई कि वे बीच में ही टूट गईं। सरकार चली गई लेकिन बीच में जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे साथी श्री साहू

जी ने ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता महसूस की है कि राज्य सभा को भी वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए और इन शक्तियों को प्रदान करने से राज्य सभा को वे अधिकार प्राप्त होंगे जिन अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य सभा समय-समय पर फाइनैशियल डिस्पोजन ले सकती है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो यह बिल प्रस्तुत किया गया है, वह सामयिक है, वह सामयिक है, और उसको बहुत गंभीरता से लिया जाना बहुत आवश्यक है।

महोदय, आर्टिकल 115 और 117 की जब व्याख्या की जाए तो उसके अनुसार वित्तीय मामलों की प्रक्रिया को अधिकारित करते हैं और आर्टिकल 265 और 266 में भी उल्लिखित है कि कितनी परिस्थितियों में फाइनैशियल पावर्स हाउस आफ लार्ड्स और राज्य के सीमित हैं। 1909 में जब फाइनैशियल बिल रिजेक्ट किया गया था तो पार्लियामेंट एक्ट 1911 पास किया गया था और ऐसी व्यवस्था की गई थी कि पार्लियामेंट यानी कि लोक सभा, राज्य सभा और प्रेजिडेंट आफ इंडिया, जब कभी फाइनैशियल बिल पेश होती है तो फाइनैस जारी कर सकते हैं। आर्टिकल-117 में भी उल्लेख है कि जो प्रपोजल न्यू टैक्स के लिये दिये जायें वह सरकार की तरफ से होना चाहिये और सरकार जो उत्तरदायी होगी, वह सदन को होगी, जिसमें कि लोक सभा और राज्य सभा शामिल है और यह सदन जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि जनता सर्वोपरि है, जबकि इंग्लैंड में ऐसी व्यवस्था है कि जो कामर्स है वह ग्रान्ट्स करते हैं और जो एलर्ड्स हैं वह ग्रान्ट्स को स्वीकृति देते हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया के 1935 के एक्ट के अनुसार जो फाइनैशियल एनुअल स्टेटमेंट है वह दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन हमारे यहां संविधान में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जो बजट है वह प्रस्तुत तो किया जाता है लेकिन प्रमुख रूप से यह लोक सभा में रखा जाता है और यहां उसकी क्रापी टेबिल पर रखी जाती है। महोदय, हमारे देश से अंग्रेजी राज चला गया लेकिन अंग्रेजी

प्रथा—ब्रिटिश सिस्टम आज भी मौजूद है, जो हमें समय-समय पर पुरानी दासता से हम मुक्त नहीं हुये हैं, इस बात का आभास कराता है और यह जो सब प्रावधान लिया गया है वह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से लिया गया है जहाँ हाउस आफ कॉमन्स की हाउस आफ लॉर्ड्स के मुकाबले बहुत अधिक जो वित्तीय शक्तियाँ हैं, वह दी गयी हैं। महीदया, राज्य सभा के सदस्य पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सदस्य हो सकते हैं, पब्लिक अडरटेकिंग के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन एस्टीमेट कमेटी के सदस्य नहीं हो सकते, यह अत्यन्त दुर्भाग्यजनक और हास्यास्पद है और जब हम इस संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि जब राज्य सभा के सदस्य इन दोनों समितियों के सदस्य हो सकते हैं तो एस्टीमेट कमेटी के सदस्य क्यों नहीं हो सकते। सर्वोच्च न्यायालय के जो भूतपूर्व न्यायाधीश श्री जस्टिस सिंह हैं, उन्होंने अपने निर्णय में इस बात का उल्लेख किया था कि राज्य सभा की स्थिति हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसी नित्यहीन नहीं है। राज्य सभा के जो सदस्य हैं वे फार्मैस मिनिस्टर हो सकते हैं। राज्य सभा के सदस्य प्रणव मुखर्जी फार्मैस मिनिस्टर रहे। यशवन्त सिन्हा जी, सामने बैठे हैं, वे फार्मैस मिनिस्टर रहे। आज जो फार्मैस मिनिस्टर डा. मनमोहन सिंह और स्टेट फार्मैस मिनिस्टर रामेश्वर ठाकुर जी हैं, वे राज्य सभा के सदस्य हैं। लेकिन राज्य सभा को वे वित्तीय शक्तियाँ नहीं प्रदान की जा रही हैं जिसके तहत हम उन शक्तियों का प्रयोग करके जब कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति निमित्त होती है कि लोक सभा डिजोल्ड की जाये तो राज्य सभा में हम किसी भी प्रकार का फार्मैसिविल बिल पास कर सकते हैं। जब फार्मैस मिनिस्टर राज्य सभा दे सकती है तो फार्मैसिविल बिल पास करने के लिये वह शक्तियाँ प्रदान क्यों नहीं की जाती, संविधान में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता, आज इस बात पर गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राज्य सभा के जो भूतपूर्व महासचिव मि. बेनर्जी हैं, उनके अनुसार

भी संसदीय लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि दोनों सदन मिलकर काम करें। लेकिन हमारे भ्रमों यह दुर्भाग्यजनक बात है कि यह बताया जाता है कि लोक सभा के लोग जनता द्वारा चुने गये होते हैं। लेकिन जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा राज्य सभा के सदस्य चुने जाते हैं इसलिये हमकी धीरे-धीरे उनकी बराबरी की नजरों से हटा जाना जरूरी है और हमकी उन्हीं प्रकार के अधिकार दिये जाने चाहिये जो कि लोक सभा को प्रदान किये गये हैं। हमें केवल ब्रिटिश सिस्टम का पूर्णरूपेण अनुसरण नहीं करना चाहिये। भ्रम होकर हमें उसी रीति पर नहीं चलना चाहिए बल्कि समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार हमें उनको केवल पथ-प्रदर्शक न मानकर उनमें तब्दीली पर विचार करना चाहिए और संविधान में संशोधन करना चाहिए। उस आवश्यकता को हमारे विद्वान सदस्य भाई रजनी रंजन साहू जी ने आज महसूस किया है। राज्य सभा एक कंटीन्यूअस बाडी है और यह डिस्टाल्व नहीं होती है जबकि लोक सभा डिस्टाल्व होती है और होती रही है। लेकिन आर्टिकल 392 और 356 के अनुसार राज्य सभा, लोक सभा के विघटित होने की दशा में जारी घोषणाओं की अवधि बढ़ा सकती है। अतः वित्तीय कठिनाइयों से निपटने के लिए इस प्रकार की शक्तियाँ राज्य सभा को दिया जाना आज के समय की आवश्यकता है। इस बारे में हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब एक सरकार नहीं रह पाती है तो उस नहीं रह पाने की अवस्था में जब लोकसभा डिस्टाल्व हो जाती है, उस समय राज्यसभा को इस प्रकार की पावर्स दी जानी आवश्यक है ताकि वह किसी भी प्रकार के वित्तीय मामलों के संबंध में निर्णय ले सके और फार्मैस बिल जब हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं तो यहाँ उनको प्रस्तुत क्यों नहीं किया जा सकता। इस बारे में हमको विचार करना चाहिए और आवश्यकता इस बात की है कि समय-समय पर जब हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता हुई, आर्थिक संकट हुआ तो हमने विदेश से

[श्री सुरेश पचौरी]

लोन लिया, आई० एम० एफ० से लोन लिया। जब सरकार डिस्साल्व हो जाती है तो उस कंडीशन में हमको वह सारी वित्तीय शक्तियाँ प्रदान किया जाना आवश्यक है ताकि हम राष्ट्र का सम्मान कर सकें, सरकार का सम्मान बना रहे और जब हम इस प्रकार के निर्णय ले सकेंगे, राज्यसभा को जब यह ताकत मिल जाएगी, यह निर्णय लेने का अधिकार मिल जाएगा तो निश्चित रूप से विदेशों में हमारी साख रहेगी, राष्ट्र का सम्मान भी बना रहेगा।

इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए आज समय की आवश्यकता है कि हम राज्य सभा को भी वित्तीय अधिकार दें, वित्तीय निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें और इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे साथी साहू जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, ये उसका समर्थन करता है।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष महोदया, यह जो संशोधन पेश किया है माननीय साहू जी ने, यह इस बात का प्रतीक है कि हम पुरानी सोच से कुछ अलग हटकर नयी सोच की ओर बढ़ रहे हैं। चूंकि हमारा देश बहुत नकलची है इसलिए यह पुरानी चीजों को ढोते चलने में, पुरानी परंपराओं को की साथ घसीटने में आनंद लेता है। देश आजादी के बाद आज अगर हम ध्यान से देखे तो लगता है कि अंग्रेज भारत की कुर्सी से चले गए हैं लेकिन उनकी शक्ति यहां है। जो कानून 1857 के विद्रोह के बाद बनाए गए थे चाहे 1862 में, 1865 में, 1875 में, इंडियन पीनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, पुलिस ऐक्ट, पुलिस मैनुअल, यह सारे कानून भारतीयों को दबाने के लिए बनाए गए थे और आजादी का दमन करने के लिए बनाए गए थे लेकिन वे सारे कानून आज भारत को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहुत छोटे-मोटे परिवर्तन सी. आर. पी. सी. में हुए हैं लेकिन सारे कानून ज्यों के त्यों, यथावत चल रहे हैं।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें पुरानी चीजों को ढोते रहने को आदत पड़ गई है इसलिए जब कहीं से रोशनी आती है तो हम चाहते हैं कि पूरे परिप्रेक्ष्य में बातचीत हो। यह संविधान जो भारत का बना है, 1922 में महात्मा गांधी जी ने और 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि भारत का जो संविधान बनेगा वह जो कांस्टीट्यूट असेंबली चुनी जाएगी, वह सीधे जनता से चुनी जाएगी। जनता से चुनी हुई ऐसंबली ही आजाद भारत का संविधान बनाएगी। लेकिन बदकिस्मती यह हुई यहां जो कांस्टीट्यूट ऐसंबली बनी वह नामिनेटेड कांस्टीट्यूट ऐसंबली बनी। उसने संविधान बनाया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या था। पता नहीं किन कारणों से उन्होंने भारत को संघीय गणराज्य बनाया। उन्होंने कहा भारत संघीय गणराज्य है लेकिन इसके जो कील, पाए उन्होंने बनाए, जो ढांचा बनाया वह बना दिया एकात्मक संविधान का। अमरीका एक संघीय देश है, वहां पर फेडरलिज्म है। तो जो सही मायने में संघीय देश है वहां का सेकिड चेंबर बहुत पावरफुल होता है।

The second chamber is the most powerful chamber in the world.

जैसे सीनेट है अमरीका का, वह माना जाता है दुनिया में, संविधान में, कि the Senate is the second most powerful chamber in the world.

चूंकि सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, हर राज्य के प्रतिनिधि उसमें होते हैं इसलिए वह सबसे ज्यादा पावरफुल है। अमरीकन संविधान में हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स से ज्यादा पावरफुल सीनेट है जो वहां का सेकिड चेंबर है। वहां संघीय व्यवस्था है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है और यहां पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्था है राज्य सभा जिसको कहते हैं, इसको आप सेकिड ग्रेड का बनाकर रखते हैं। तो यह संघीय ढांचे का रूप नहीं है। यह तो एकात्मक रूप है। इसको सर्वाइजेंट चेंबर बनाकर आपने रखा है। आप कहते हैं कि हाउस आफ एलर्ब्स है राज्य सभा। हाउस आफ लार्ड्स तो दूसरी जगह की भाषा है, अंग्रेजों की भाषा में है। मैं कह रहा हूं

कि इसको आप हाउस आफ ऐल्डर्स कहकर मौखिक रूप से इसको प्रतिष्ठा दे रहे हैं लेकिन अधिकार देने के बारे में इसको आप किबल करते हैं, सबाडिनेट चेंबर बनाकर रखते हैं। यह बात अधिक दिन चलने वाली नहीं है। संघीय ढांचे के रूप में अगर भारत को रहना है तो सेकिड चेंबर को आपको मजबूत बनाना होगा।

साहू जी ने तो बहुत छोटी बात कही है कि इसको वित्तीय अधिकार मिलना चाहिए। वित्तीय अधिकार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन नियंत्रण का अधिकार इसका ज्यादा होना चाहिए। पिछले दिनों ऐसी व्यवस्था थी कि जिस पार्टी की हुकूमत दिल्ली में होती थी उसी पार्टी की हुकूमत राज्यों में भी होती थी। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला नहीं है। किसी राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार होगी किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार होगी और दिल्ली में किसी पार्टी की सरकार होगी। अब कोअलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो जैसे कोअलिशन गवर्नमेंट फ्रांस में और जर्मनी में बन रही है उसी तरह से यहां भी बनेगी। उस स्थिति में राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए जो संस्था है उसका पावरफुल होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में पावरफुल सीनेट नहीं बनेगी तो आगे चलकर यह संघीय ढांचा गड़ बड़ाने लगेगा और फिर टकराव की शक्तियां और ज्यादा जोरों से उठेंगी। यह बात अभी भी उठ रही है। दिल्ली में जिस पार्टी की हुकूमत है उस पार्टी की सरकार अगर भूब में नहीं है तो उस सुबे के साथ दिल्ली की सरकार नाइसफी करती है। संसदघनों के बटवारे में और भी कई चीजें हैं जिनके बारे में उनके साथ अदभाव होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस संस्था को मजबूत बनाया जाए। दो-तिहाई बहुमत जरूरी है संविधान में संशोधन करने के लिए। लोकसभा ने 1989 में पंचायती बिल पास कर दिया था लेकिन राज्य सभा का अलग से अधिवेशन बुलाया गया 13 अक्टूबर, 1989 को और राज्य सभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। राजीव गांधी जी ने जो पंचायती राज का ढोल पीटा

था वह खत्म हो गया। कहने का मतलब यह है कि पास पावर थी इसलिए उनके ढोल को खत्म कर दिया। इसी तरह से ताकत इस संस्था में आये।

आने वाले दिनों में एक सवाल उठ रहा है चारों तरफ से कि यह ढीला-ढाला संघ होना चाहिए, इतना कठोर संघ नहीं होना चाहिए। सारी शक्तियां दिल्ली में ही केन्द्रित हो गई हैं। इसका विकेन्द्रीकरण नहीं हो रहा है। इस दृष्टि से भी राज्य सभा को ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए और वित्तीय मामलों में तो अलग रखने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा हम नकलची बहुत हैं। हम बहुत क्रांतिकारी विचार लेकर चलते हैं लेकिन उसे व्यवहार में नहीं लाते हैं। घर में बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं, मंच पर बड़ी-बड़ी बातें बोलते हैं लेकिन व्यवहार में बिल्कुल उलटा, करते हैं, वचन में हम राजा हैं और व्यवहार में रंक हैं। जैसे नारा है, यहां संसद में भी कहीं न कहीं लिखा होगा—वसुधैव कुटुम्बकम्। सारी वसुधा एक परिवार है लेकिन हरिजनों को मन्दिर में नहीं जाने देंगे। जो अछूत हैं उनको बार-बार से बैठने नहीं देंगे। बैठेंगे तो पीटेंगे। व्यवहार में बहुत दकियानुसी हैं। जैसे विक्टोरिया क्रॉस की पदवी वीरता के लिए अंग्रेजों के जमाने में दी जाती थी। इसे बी० सी० यानी विक्टोरिया क्रॉस कहा जाता था। वह बी० सी० शब्द अभी भी चालू है यानी वीर चक्र। ब्रिटिश लोगों का यह शब्द ज्यों का त्यों हमने रखा हुआ है। इसमें परिवर्तन नहीं लाये। नया शब्द गड़ लेते, अपना दिमाग लड़ा लेते जो क्या था। पुरानी वासी चीजों को बताये रखने की हथौड़ी आदत बनी हुई है। जो 1935 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट है वह ज्यों का त्यों है। जो थोड़ा बहुत शब्दों का हेर-फेर हुआ है वह इसलिए हुआ कि इस संविधान की जो सभा थी वह चुनी हुई सभा नहीं थी। कई बार इस सदन में मैं मांग कर चुका हूं और अब समय आ गया है कि नई कंस्टिट्यूट असेम्बली चुनी जाए। इसमें जो मजदूर क्लास है, हरबाह, चरबाह, कुमेरा हैं उनके प्रतिनिधि

[श्री राम अवधेश सिंह]

जब इसमें आयेंगे तब भारत का असली संघीय संविधान बनेगा और उसमें गरीबों के लिए, हरवाह, चरवाह और कुमेरा के लिए सुरक्षा की व्यवस्था होगी। उसकी प्रगति की व्यवस्था होगी। आज यह पूंजीपतियों का पाकेट बुक बन कर रह गया है। पूंजीपति जब चाहे अपने हित में परिवर्तन करा लेते हैं पदों के अंदर बैठकर। लेकिन व्यापक राष्ट्रीय हित में, जनहित में कोई बात होती नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें कई चीजें साथ-साथ जोड़ी जाएं। क्योंकि इन्होंने जो संशोधन रखा है बहुत लिमिटेड संशोधन रखा है। इसके बाहर हम बोल नहीं सकते लेकिन आउट-लाइन दे सकते हैं। हम अपनी सोच में बहुत तकियानूसी हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ बीच आफ प्रिविलेज का। हमने नियम बना रखा है कि किसी अफसर ने किसी माननीय सदस्य को अपमानित कर दिया। यहां नोटिस देते हैं और चेयरमैन साहब उसको लिखते हैं। व लिखते हैं कि क्या तुमने अपमानित किया और वह साफ कह देता है कि नहीं किया। हमने कहा कि उसने दो थप्पड़ मारे, लेकिन वह कह देता कि हुजूर, हम कहां मारे हैं। हमारी दुर्दशा तो ऐसी होती है। इसलिए इन नियमों में तबदीली होनी चाहिए। इसलिए जब मेम्बर आफ पार्लियामेंट बोलता है तो उसका तो विश्वास नहीं किया जाता है और नौकरशाह पर विश्वास कर लिया जाता है। वह लिख देता है कि हमने अपमानित नहीं किया। हमारा सोच बहुत पुराने ढंग से चल रहा है। इसलिए कई चीजें ऐसी हैं जिन पर हम लोगों को नये ढंग से सोचना होगा और इसके लिए इनका जो संशोधन है, मैं समझता हूँ कि वह काबिले तारीफ है। संविधान में जो 249 धारा है उसमें केवल राज्य सभा को पावर्स हैं, लोक सभा को पावर्स नहीं हैं। इसलिए अगर हम व्यापक संशोधनों की बात करें और अगर हमारी बात पर चला जाय और कुछ सदस्य तैयार हों तो हम चाहते हैं कि संविधान में बहुत मौलिक परिवर्तनों की जरूरत है। केवल इतनी बात नहीं है कि राज्य सभा को वितीय अधिकार मिल जायें, यह तो बहुत

साधारण बात है। मैं चाहता हूँ कि व्यापक परिवर्तनों के लिए सरकार राजी हो और देश तैयार हो और पूरे के पूरे संविधान को रिकॉन्स्ट्रिक्चर किया जाय। एक नई कॉन्स्टिट्यूट एसेम्बली बने जो नये ढंग से संविधान बनाये और फेडरलिज्म को मजबूती दे। इस संविधान में ताकत नहीं है। ऐसे दिन भी आ सकते हैं जब सब की एकता को बरकरार नहीं रख सकेगा क्योंकि यह डेढ़ ढांग की सरकार है, डेढ़ खम्भे की सरकार है। एक तो केन्द्र है और आधा राज्य है। शेर की स्थिति केन्द्र की हो गई है और सियार की स्थिति सबों की हो गई है। शेर चाहे तो सियार को मार देगा और जिले की स्थिति तो चूहे की हो गई है। जब चाहे उसको मार दिया जा सकता है। जब तक चौखम्भे राज्य की व्यवस्था नहीं होगी तब तक जमूरियत की इमारत खड़ी नहीं की जा सकती है और यह देश मजबूत नहीं हो सकता है। यह जो धारा 356 है इसके अन्तर्गत किसी भी चुनी हुई राज्य सरकार को खत्म कर दिया जाता है। जब चाहते हैं, कलम की एक नौक से चुनी हुई सरकार को खत्म कर दिया जाता है। सूबे की जो सरकार होती है वह कलम की एक नौक से किसी चुनी हुई जिला पंचायत को, चुनी हुई कांफ़रेंशन को खत्म कर देता है। इसी प्रकार से जिले कलेक्टर कलम की एक नौक से ग्राम पंचायत को खत्म कर देता है। मतलब यह है कि सेंट्रलाइजेशन आफ पावर्स ऐसा हो गया है कि जिसके जरिये से देश में जमूरियत खत्म हो गई है। हमारी मान्यता है कि जब तक जिले में कलेक्टर रहेगा, यह खूबार जानवर रहेगा, तब तक जमूरियत नहीं रह सकती है। यह खूबार जानवर बनाया गया था सन् 1857 में हिन्दुस्तानियों को दबाने के लिए और उनको खत्म करने के लिए। इसलिए जब तक ये तमाम चीजें संविधान में रहेंगी तब तक सही मायनों में जमूरियत लागू नहीं हो सकती है। इसमें सुधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक पूरे तीर पर नई संविधान सभा का गठन नहीं होता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Dr. Sivaji. Just make a beginning.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Madam, while supporting the Bill I would say I hope the hon. Member will not withdraw the Bill in the meanwhile.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): It is 5 o'clock. You will continue next time.

5 00 P. M.

RE. PAPER LAID ON THE TABLE BY FINANCE MINISTER ON 27-2-92—
CONTD.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam Vice-Chairman, I must... (*Interruptions*)...

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मैडम, 5 बजे तक सदन चलता है, इस परम्परा को कायम रखिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I know that the Business Advisory Committee has not taken any decision. But let me hear the Leader of the opposition.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: आज मैडम, लोगों को बाहर जाना है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Let me hear the Leader of the Opposition.

DR. RATNAKAR PANDEY: He will not speak about anything except Manmohan Singh. He has got no other topic.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Kindly let me hear what he says.

SHRI M. A. BABY: I would also like to speak for two minutes only.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): But we cannot continue, Mr. Baby. I just want to hear what the Leader of the Opposition is saying.

SHRI M. A. BABY: Madam, it is a very serious matter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): We have not taken a decision... (*Interruptions*)... Let me deal with it, please.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam...

SHRI M. A. BABY: This is a matter concerning the economic sovereignty of the country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Baby, we are not being technical. The Members are raising an objection. You know there is no unanimity, we cannot continue. But I am going to hear Mr. Reddy.

SHRI M. A. BABY: All of them are equally if not more, concerned with this particular question... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Ghosh, please don't challenge the Chair.

SHRI DIPEN GHOSH: It was decided in the BAC that the business will be held up to 6 o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): No. That is not my information. You are wrongly informed.

SHRI M. A. BABY: Madam, I don't think that they will object if we sit up to 5 30 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Baby, please wait for a minute.

SHRI M. A. BABY: Allow me after Mr. Reddy.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I am merely hearing the Leader of Opposition because he has something to say.

Mr. Ghosh, you are wrongly informed. No decision was taken at the BAC to sit up to 6 o'clock. You ask the office.

SHRI DIPEN GHOSH: I was there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): No such decision was taken.

SHRI M. A. BABY: As per the documents I am having the economic sovereignty of the country is being compromised. As per the documents presented by the Finance Minister, I just want to quote only one sentence. It was never placed in this House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Let the Leader of the Opposition speak.

SHRI M. A. BABY: After that at least you must hear me. At least that much consideration I expect from you.